कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2022/ 86 दिनांक 14-01-2022

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2021 में बाढ से अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा तहसील कनवास की क्षतिग्रस्त नहरों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 4158 दिनांक 14.12.2021 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ–8(6) आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ/2021/ 420–26 जयपुर दिनांक 10.01.2022 के क्रम में अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा तहसील कनवास क्षेत्र की क्षतिग्रस्त 12 नहरे राशि रू0 23.68 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि(SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी – अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड़ कोटा

	रोड का नाम मय लोकेशन	क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन	रोड की लम्बाई (किमी में)	SDRF मापदण्डों के अनुसार दर (राशि प्रति किमी)	एस.डी.आर.एफ. मद से मरम्मत योग्य राशि (लाखो मं)
	कनवास				
1	सीमलिया माईनर चैन सं. 6 से 39 के दोनों तरफ क्षतिग्रस्त बैंको की मरम्मत का कार्य।	ग्राम सीमलिया/ ग्राम पंचायत बास्याहेडी, प. सं. सांगोद तहः कनवास जिला कोटा		2.40	2.40
2	बास्याहेड़ी माईनर के दोनों तरफ क्षतिग्रस्त बैंको की मरम्मत का कार्य।	ग्राम सीमलिया/ ग्राम पंचायत बास्याहेडी, प. सं. सांगोद तहः कनवास जिला कोटा		1.80	1.80
3	सामरिया माईनर के दोनों तरफ क्षतिग्रस्त बैंको की मरम्मत का कार्य।	ग्राम सामरिया/ ग्राम पचायत बास्याहेडी, प. स. सागोद तहः कनवास जिला कोटा		2.70	2.70
4	बाछीहेड़ा माईनर के दोनों तरफ क्षतिग्रस्त बैंको की मरम्मत का कार्य।	ग्राम बाछीहेडा/ ग्राम पचायत हिंगोनिया, प. स. सागोद तहः कनवास जिला कोटा		1.00	1.00
5	बिशनपुरा माईनर के दोनों तरफ क्षतिग्रस्त बैंको की मरम्मत का कार्य।	ग्राम बिशनपुरा/ ग्राम पंचायत हिंगोनिया, प. स. सागोद तहः कनवास जिला कोटा		4.20	4.20
6	मांडूहेडा माईनर के दोनों तरफ क्षतिग्रस्त बैको की मरम्मत का कार्य।	ग्राम हिंगोनिया/ ग्राम पचायत हिंगोनिया, प. स. सांगोद तहः कनवास जिला कोटा		3.30	3.30
7	जुगलपुरा माईनर के अरू नदी के प्रवाह से दोनों तरफ क्षतिग्रस्त बैंको की मरम्मत का कार्य।	ग्राम जुगलपुरा/ ग्राम पचायत सावन भादो, प. स. सांगोद तहः कनवास जिला कोटा		1.20	1.20
8	टेल माईनर के दोनों तरफ क्षतिग्रस्त बैको की मरम्मत का कार्य।	ग्राम झालरा/ ग्राम पंचायत झालरी, प. स. सांगोद तहः कनवास जिला कोटा		2.10	2.10
9	मुख्य नहर चैन संख्या 460 से 490 के दोनों तरफ क्षतिग्रस्त बैंको की मरम्मत का कार्य।	ग्राम झालरा/ ग्राम पंचायत झालरी, प. सं. सांगोद तहः कनवास जिला कोटा		1.08	1.08
10	सारनेश्वर महादेव एनीकट के दायी साईड कटाव एवं दीवार क्षतिग्रस्त का कार्य।	ग्राम जालिमपुरा/ ग्राम पंचायत जालिमपुरा, प. सं. सांगोद तहः कनवास जिला कोटा		1.50	1.50
11	कनवास एनीकट अरू नदी पर बांयी तरफ के क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत का कार्य।	ग्राम कनवास/ ग्राम पंचायत कनवास, पं. सं. सांगोद तहः कनवास जिला कोटा		1.50	1.50
12	मुख्य नहर चैन संख्या 360 से 410 में बैंको की मरम्मत एवं ग्रेवल का कार्य	ग्राम हिंगोनिया/ ग्राम पंचायत हिंगोनिया, पं. सं. सांगोद तहः कनवास जिला कोटा		0.90	0.90
	Total			**23.68**	**23.68**

कार्य कराने में निम्न शर्तो की पालना की जावे :–

1. प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत केवल उन्हीं सडकों की की जावे, जिन सडकें की क्षति बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ से हुई है जिससे सामान्य जन–जीवन को बाधित होने से सडकों की तात्कालिक मरम्मत करवाया जाना आवश्यक है।

2. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंषा की है।

3. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया WRD & AR के अनुसार मान्य होगी।

4. विभाग द्वारा Per Km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः जल संसाधन विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सडकों की मरम्मत पर न करें।

2

क्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावें।

6. प्रस्तावों में उन्हीं सडकों की मरम्मत करवाया जाये जो पेचवर्क द्वारा ठीक करायी जा सकती है।

7. ये सडकें जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।

8. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।

9. कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित ऐजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।

10. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।

11. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 6182 दिनांक 08.08.2019 द्वारा गणना की जायें।

12. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

13. राष्ट्रीय राजमार्गो हेतु राशि तभी स्वीकृत की जावे, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से उनकी मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध नहीं है।

14. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।

15. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।

16. उक्त स्वीकृति के विरूद्ध क्षतिग्रस्त सडक के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।

17. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।

18. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।

19. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रगाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

जिला कलक्टर,
कोटा
दिनांकः 14–01–2022

क्रमांकः सहायता/बाढ/2022/86

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक काय्रवाही हेतु :–

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. उपखण्ड अधिकारीकनवास।
4. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा।

अति0 जिला कलक्टर
(सीलिंग)
कोटा

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2022/ 87

दिनांक: 14-01-2022

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2021 में बाढ से अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा तहसील रामगंजमण्डी की क्षतिग्रस्त सडकों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 4158 दिनांक 14.12.2021 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(6) आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ/2021/ 420-26 जयपुर दिनांक 10.01.2022 के क्रम में अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा तहसील रामगंजमण्डी क्षेत्र की क्षतिग्रस्त 09 नहरे राशि रू0 13.50 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि(SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी – अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड कोटा

	रोड का नाम मय लोकेशन	क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन	रोड की लम्बाई (किमी में)	SDRF मापदण्डों के अनुसार दर (राशि प्रति किमी)	एस.डी.आर.एफ. मद से मरम्मत योग्य राशि (लाखो मं)
	रामगंजमण्डी				
1	मवासा एनीकट के किनारों पर मिट्टी के कटाव व बांयी तरफ की वॉल क्षतिग्रस्त	ग्राम मवासा/ ग्राम पंचायत सालेडाखुर्द, पं. सं. खैराबाद तहः रामगंजमण्डी जिला कोटा		1.50	1.50
2	हथौना एनीकट के किनारों पर मिट्टी के कटाव व बांयी तरफ की वॉल क्षतिग्रस्त	ग्राम हथौना/ ग्राम पंचायत घाटौलीं, पं. सं. खैराबाद तहः रामगंजमण्डी जिला कोटा		1.50	1.50
3	कोटडी एनीकट की विंग वॉल व एप्रोन क्षतिग्रस्त	ग्राम कोटडी/ ग्राम पंचायत खेडली , पं. सं. खैराबाद तहः रामगंजमण्डी जिला कोटा		1.50	1.50
4	मानपुरा एनीकट की विंग वॉल व एप्रोन क्षतिग्रस्त	ग्राम मानपुरा/ ग्राम पचायत कुकडाखुर्द , पं. सं. खैराबाद तहः रामगंजमण्डी जिला कोटा		1.50	1.50
5	कुकड़ा एनीकट के हेडवॉल क्षतिग्रस्त	ग्राम कुकडाखुर्द/ ग्राम पंचायत कुकडाखुर्द , पं. सं. खैराबाद तहः रामगंजमण्डी जिला कोटा		1.50	1.50
6	कमलपुरा एनीकट के विंगवॉल व साईडों मे कटाव	ग्राम कमलपुरा/ ग्राम पंचायत पीपल्या , पं. सं. खैराबाद तहः रामगंजमण्डी जिला कोटा		1.50	1.50
7	बटवाडा एनीकट के बांयी तरफ की वॉल पर मिट्टी के कटाव	ग्राम बटवाडा/ ग्राम पंचायत पीपल्दा , पं. सं. खैराबाद तहः रामगंजमण्डी जिला कोटा		1.50	1.50
8	सलावदखुर्द एनीकट के विंगवॉल व एप्रोन क्षतिग्रस्त	ग्राम सलावदखुर्द/ ग्राम पंचायत सलावदखुर्द , पं. सं. खैराबाद तहः रामगंजमण्डी जिला कोटा		1.50	1.50
9	निमोदा एनीकट के अपस्ट्रीम में पुलिया की अप्रोच क्षतिग्रस्त	ग्राम निमोदा/ ग्राम पंचायत आलोद , पं. सं. खैराबाद तहः रामगंजमण्डी जिला कोटा		1.50	1.50
	Total			13.50	**13.50**

कार्य कराने में निम्न शर्तो की पालना की जावे :-

1. प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत केवल उन्हीं सडकों की की जावे, जिन सडकें की क्षति बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ से हुई है जिससे सामान्य जन-जीवन को बाधित होने से सडकों की तात्कालिक मरम्मत करवाया जाना आवश्यक है।

2. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंषा की है।

3. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया WRD & AR के अनुसार मान्य होगी।

4. विभाग द्वारा Per Km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः जल संसाधन विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सडकों की मरम्मत पर न करें।

5. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावें।

6. प्रस्तावों में उन्हीं सडकों की मरम्मत करवाया जाये जो पेचवर्क द्वारा ठीक करायी जा सकती है।

7. ये सडकें जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।

खण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।

गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित ऐजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।

10. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।

11. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 6182 दिनांक 08.08.2019 द्वारा गणना की जायें।

12. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

13. राष्ट्रीय राजमार्गो हेतु राशि तभी स्वीकृत की जावे, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से उनकी मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध नहीं है।

14. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।

15. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।

16. उक्त स्वीकृति के विरूद्ध क्षतिग्रस्त सडक के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।

17. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।

18. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।

19. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

जिला कलक्टर,
कोटा
दिनांक 14–01–2022

क्रमांक: सहायता/बाढ/2022/ 87

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी।
4. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा।

अति0 जिला कलक्टर,
(सीलिंग)
कोटा

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

दिनांकः 14-01-2022

क्रमांकः सहायता/बाढ/2022/ 88

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2021 में बाढ से अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा तहसील लाडपुरा की क्षतिग्रस्त नहरों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 4158 दिनांक 14.12.2021 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ–8(6) आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ/2021/ 420–26 जयपुर दिनांक 10.01.2022 के क्रम में अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा तहसील लाडपुरा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त 05 नहरे राशि रू0 7.50 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि(SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी – अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड़ कोटा

	रोड का नाम मय लोकेशन	क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन	रोड की लम्बाई (किमी में)	SDRF मापदण्डों के अनुसार दर (राशि प्रति किमी)	एस.डी.आर.एफ. मद से मरम्मत योग्य राशि (लाखो मं)
	लाडपुरा				
1	बालापुरा लिफ्ट के पम्प हाऊस व ट्यूब वेल की अतिआवश्यक मरम्मत का कार्य	ग्राम जाखोडा, ग्राम पंचायत जाखोडा, पंचायत समिति लाडपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा		1.50	1.50
2	डोलिया बांध वैंको की एवं एप्रोन की मरम्मत का कार्य	ग्राम डोलिया ग्राम पंचायत डोलिया, पंचायत समिति लाडपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा		1.50	1.50
3	मानस गांव एनीकट के एप्रोन व हेड वॉल की मरम्मत का कार्य	ग्राम मानस गांव ग्राम पचायत मानस गांव पंचायत समिति लाडपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा		1.50	1.50
4	मोहनपुरा तालाब की क्षतिग्रस्त हेड वॉल की मरम्मत का कार्य	ग्राम मोहनपुरा ग्राम पंचायत भवरिया, पचायत समिति लाडपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा		1.50	1.50
5	काल्याखेडी एनीकट हेड वॉल एवं एप्रोन की अतिआवश्यक मरम्मत का कार्य	ग्राम काल्याखेडी ग्राम पंचायत काल्याखेडी, पंचायत समिति लाडपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा		1.50	1.50
	Total			**7.50**	**7.50**

कार्य कराने में निम्न शर्तो की पालना की जावे :–

1. प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत केवल उन्हीं सडकों की की जावे, जिन सडकें की क्षति बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ से हुई है जिससे सामान्य जन–जीवन को बाधित होने से सडकों की तात्कालिक मरम्मत करवाया जाना आवश्यक है।
2. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंषा की है।
3. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया WRD & AR के अनुसार मान्य होगी।
4. विभाग द्वारा Per Km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः जल संसाधन विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सडकों की मरम्मत पर न करें।
5. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावें।
6. प्रस्तावों में उन्हीं सडकों की मरम्मत करवाया जाये जो पेचवर्क द्वारा ठीक करायी जा सकती है।
7. ये सडकें जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।

उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।

कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित ऐजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।

10. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।

11. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 6182 दिनांक 08.08.2019 द्वारा गणना की जायें।

12. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

13. राष्ट्रीय राजमार्गो हेतु राशि तभी स्वीकृत की जावे, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से उनकी मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध नहीं है।

14. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।

15. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।

16. उक्त स्वीकृति के विरूद्ध क्षतिग्रस्त सडक के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।

17. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।

18. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।

19. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

जिला कलक्टर,
कोटा
दिनांक 14-01-2022

क्रमांक: सहायता/बाढ/2022/88
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. उपखण्ड अधिकारी लाडपुरा।
4. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा।

अति0 जिला कलक्टर
(सीलिंग)
कोटा

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

दिनांक 14-01-2022

.../बाढ/2022/ 89

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2021 में बाढ से अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा तहसील दीगोद की क्षतिग्रस्त नहरों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं स्थापना हेतु पत्रांक 4158 दिनांक 14.12.2021 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ–8(6) आ.प्र. एवं सहा/प्रस्ताव/बाढ/2021/ 420–26 जयपुर दिनांक 10.01.2022 के क्रम में अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा तहसील दीगोद क्षेत्र की क्षतिग्रस्त 02 नहरे राशि रू0 3.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी – अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड कोटा

	रोड का नाम मय लोकेशन	क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन	रोड की लम्बाई (किमी में)	SDRF मापदण्डों के अनुसार दर (राशि प्रति किमी)	एस.डी.आर.एफ. मद से मरम्मत योग्य राशि (लाखो में)
	दीगोद				
1	डाहरा बांध की विगवॉल एवं अप्रेन की अतिआवश्यक मरम्मत का कार्य	ग्राम बरगू/ ग्राम पंचायत पोलाईकला, पं. सं. सुल्तानपुर तहः सुल्तानपुर जिला कोटा		1.50	1.50
2	डाहरा बांध की बैंको की मरम्मत कार्य	ग्राम बरगू/ ग्राम पंचायत पोलाईकला, पं. सं. सुल्तानपुर तहः सुल्तानपुर जिला कोटा		1.50	1.50
	Total			**3.00**	**3.00**

कार्य कराने में निम्न शर्तो की पालना की जावे :–

1. प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत केवल उन्हीं सडकों की की जावे, जिन सडकें की क्षति बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ से हुई है जिससे सामान्य जन–जीवन को बाधित होने से सडकों की तात्कालिक मरम्मत करवाया जाना आवश्यक है।
2. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंषा की है।
3. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया WRD & AR के अनुसार मान्य होगी।
4. विभाग द्वारा Per Km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः जल संसाधन विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सडकों की मरम्मत पर न करें।
5. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावें।
6. प्रस्तावों में उन्हीं सडकों की मरम्मत करवाया जाये जो पेचवर्क द्वारा ठीक करायी जा सकती है।
7. ये सडकें जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
8. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
9. कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित ऐजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
10. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
11. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 6182 दिनांक 08.08.2019 द्वारा गणना की जावें।
12. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
13. राष्ट्रीय राजमार्गो हेतु राशि तभी स्वीकृत की जावे, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से उनकी मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध नहीं है।
14. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
15. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।

स्वीकृति के विरूद्ध क्षतिग्रस्त सडक के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।

कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।

राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशो के अनुसार किया जावे।

9. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

14.1.22

जिला कलक्टर,
कोटा
दिनांक 14–01–2022

क्रमांक सहायता/बाढ/2022/ 89

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. उपखण्ड अधिकारी दीगोद।
4. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा।

अति० जिला कलक्टर,
(सीलिंग)
कोटा

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकःएफ.8(06)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2021/420-26 जयपुर, दिनांक 10/01/22

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या– 121/2021–22

मानसून वर्ष 2021 में बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त बांध/नहर की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु जिला कलक्टर, **कोटा** के प्रस्ताव क्रमांक 2669 दिनांक 21.12.2021 के आधार पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के प्रावधान अनुसार जिला कलेक्टर कोटा को जल संसाधन खण्ड कोटा तह. कनवास के 12 कार्य हेतु राशि रू. 23.68 लाख, जल संसाधन खण्ड कोटा तह. रामगंजमंडी के 09 कार्य हेतु राशि रू. 13.50 लाख, जल संसाधन खण्ड कोटा तह. लाड़पुरा के 05 कार्य हेतु राशि रू. 7.50 लाख, जल संसाधन खण्ड कोटा तह. दीगोद के 02 कार्य हेतु राशि रू. 3.00 लाख, **कुल 28 कार्यों** की मरम्मत हेतु **राशि रूपये 47.68 लाख** (अक्षरे रूपये सैतालिस लाख अडसठ हज़ार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की है :-

1. स्वीकृतियां जारी करते समय राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जावेगा।
2. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न किया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य आरम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
4. जिला कलेक्टर यह सन्तुष्टि कर लेवे कि प्रस्तावित नहरें/बांध/एनिकट का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यों एवं जन सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
5. जिला कलेक्टर यह प्रमाण पत्र संम्बन्धित विभाग से प्राप्त करें कि उनके पास उपलब्ध संधारण एवं मरम्मत मद में राशी का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. का उपयोग लिया जायेगा।
6. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
7. वे कार्य जो Defect LiabilityPeriod के तहत आते है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
8. आवंटित बजट का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चत करें तथा शेष राशि विभाग को अविलम्ब समर्पित की जाए।
9. कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकि एवं वित्तिय स्वीकृतियां उपरान्त ही राशि का व्यय नियमानुसार किया जावे।
10. केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुर्नरूथान के कार्य ही करवाये जावे, जो एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स में दिये गये प्रावधानुसार हो।
11 इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
12 उक्त उपखण्ड समिति के सदस्य द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का भौतिक निरीक्षण किये जाने के उपरान्त ही जल संसाधन विभाग के कार्यो की स्वीकृति जारी की जावें।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021–22 के निम्न बजट मद से किया जायेगा।

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02– बाढ़, चक्रवात आदि।

122– खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना

(02)–बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता

[01]–[बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता]

21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75 प्रति. राशि रू. 35.76 लाख)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत राशि रू. 11.92 लाख)

13. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम2013तथा योजनाके दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
14. बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का आहरण नहीं किया जावेगा।
15. व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में महालेखाकार कार्यालय/इस विभाग को प्रस्तुत किया जावें।
16. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये सदैव खुले रहेंगे।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर कोटा को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन, सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कोष कार्यालय, कोटा।

वित्तीय सलाहकार